न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 260/2018

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 श्री कानाराम पुत्र खेताराम (विक्रेता) मैसर्स शिव शक्ति आईसक्रीम, खालसा पेट्रोल पम्प के पीछे, फालना तहसील बाली 2 अशोक कुमार (मालिक) मैसर्स शिव शक्ति आईसक्रीम, खालसा पेट्रोल पम्प के पीछे, फालना तहसील बाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :—

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 31/01/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 13.07.2017 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में उनकी फर्म पर वास्ते बिक्री लगभग 300 कप आईसक्रीम (मिडियम फैट) ब्राण्ड शिव शक्ति रखे थे, जिसमें से 24 कप आईसक्रीम (मिडियम फैट) ब्राण्ड शिव शक्ति को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा आईसक्रीम (मिडियम फैट) ब्राण्ड शिव शक्ति को चार भागों में कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर—679 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द सामग्री खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना आईसक्रीम (मिडियम फैट) ब्राण्ड शिव शक्ति को Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य वस्तु अर्थात आईसक्रीम (मिडियम फैट) ब्राण्ड शिव शक्ति का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया तथा न्यूनतम जुर्माना आधिरोपित कराने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.07.2017 को अप्रार्थी की फर्म से आईसक्रीम (मिडियम फैट) ब्राण्ड शिव शक्ति क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–679 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./656/एक्ट/2017/657 दिनांक 17.09.2017 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–679 को अमानक स्तर का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा स्वीकारोक्ति के पश्चात किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य वस्तु आईसक्रीम (मिडियम फैट) ब्राण्ड शिव शक्ति का विर्निमाण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक पर 1,50,000/– अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये कुल 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली